बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–8डी0(आयोग)–33–17/2017– 143

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव,
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 12.03.18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों,पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹187.60 लाख एवं गैर वेतन ₹ 50.00 लाख अर्थात कुल ₹ 237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साढ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान का आबंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹187.60 लाख एवं गैर वेतन ₹ 50.00 लाख अर्थात कुल ₹ 237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साढ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–141 दिनांक 10.03.2018 के द्वारा प्रदान की है । तदनुसार स्वीकृत राशि के आलोक में वेतन में ₹187.60 लाख एवं गैर वेतन ₹ 50.00 लाख अर्थात कुल ₹ 237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साढ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान मद में आबंटित की जाती है ।

2–आबंटित राशि बजट मुख्य शीर्ष– मुख्यशीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण–001–निदेशन एवं प्रशासन–0003–राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्राथमिक इकाई 003.3104–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0003.3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन मांग सं0–44 विपत्र कोड 44-22250100100003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि की निकासी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5–आयोग के व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेगें ।

6– सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC 42A) एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक– 31–3–2018 तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा देगें।

विश्वासभाजन

12/3/18

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक–8डी0(आयोग)–33–17/2017- 143 पटना, दिनांक– 12.03.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा, कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/ प्रशाखा पदा0 6 जी0/ लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक 13/3/18

Letter-Secretry